मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1997.

(दिनांक 24 अप्रैल, 1997 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 19 मई 1997 को प्रथमबार प्रकाशित की गई)

ग्रामीण क्षेत्रों में साधारण मामलों को ग्राम न्यायालयों द्वारा निपटाए जाने का उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सैतालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1 – प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः–

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996 हैं.

(2) इसका विस्तार ऐसे क्षेत्रों को छोडकर, जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन स्थापित किसी नगरपालिका–निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत या छावनी बोर्ड की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर तत्समय है, सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर हैं.

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा, नियम करे और भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

2. परिभाषाएंः– इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;–

(क) ''वृत्त'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित वृत्त;

(ख) '' जिला न्यायाधीश'' से अभिप्रेत है उस सिविल जिले में, जिसके भीतर कोई ग्राम न्यायालय स्थित है, नियुक्त किया गया आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय का जिला न्यायाधीश, और उसमें जिला न्यायाधीश के न्यायालय का कोई अपर न्यायाधीश सम्मिलित हैं;

(ग) ''ग्राम पंचायत'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित की गई ग्राम पंचायत;

(घ) ''कलेक्टर'' से अभिप्रेत है जिले का कलेक्टर

(ङ) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है ग्राम न्यायालय का कोई सदस्य ;

(च) ''ग्राम न्यायालय'' से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन किसी वृत्त के लिए स्थापित किया गया कोई ग्राम न्यायालय;

(छ) ''प्रधान'' से अभिप्रेत है किसी ग्राम न्यायालय का अध्यक्ष (चेयरपर्सन);

(ज) ''सेशन न्यायाधीश'' से अभिप्रेत है ऐसे सेशन खण्ड के, जिसके भीतर कोई ग्राम न्यायालय स्थित है , सेशंन न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया न्यायाधीश ओर उसमें सेशन न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया कोई अपर सेशन न्यायाधीश सम्मिलित हैं;

(झ) ''विधि का जानकार व्यक्ति''से अभिप्रेत है या तो कोइ विधि स्नातक या ऐसा व्यक्ति जिसे विधि का प्रारंभिक ज्ञान है या जो विधि संबंधी मामलों के अनुभव रखता हैं;

(त्र) ''उन शब्दों तथा वाक्यांशों'' का, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए है किन्तु इसमें विनिर्दिष्ट रूप से परिभाषित नहीं किए गए है, वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) में उनके लिए दिया गया हैं.

अध्याय 2–ग्राम न्यायालय की स्थापना तथा उसका गठन

3. वृत्त का गठनः– राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र को, जिसमे दस या अधिक ग्राम पंचायते समाविष्ट हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक वृत्त घोषित कर सकेगी तथा उसका मुख्यालय भी विनिर्दिष्ट कर सकेगी.

4. ग्राम न्यायालय की स्थापनाः– राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक वृत्त के लिए एक ग्राम न्यायालय की स्थापना कर सकेगी जो कि वृत्त के मुख्यालय के नाम से जाना जाएगा.

5. (1) प्रत्येक ग्राम न्यायालय में सात सदस्य होगे जो जनपद पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से नामनिर्देशित किए जाएंगे जिनमें से एक विधि का जानकार व्यक्ति होगा, और उस दशा में जहां जनपद पंचायत, यथास्थिति, धारा 4 के अधीन ग्राम न्यायालय की स्थापना की तारीख से या किसी पद के रिक्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर किसी सदस्य को सर्वसम्मति से नामनिर्देशित करने में असफल रहती है, वहां राज्य सरकार ऐसे सदस्य को नाम निर्देशित करेगी.
(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो में से प्रत्येक के लिए एक–एक स्थान ऐसी जाति, जनजाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेगा.
परन्तु यदि इन प्रवर्गो में से किसी प्रवर्ग का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो उस प्रवर्ग के लिए आरक्षित स्थान अनारक्षित हो जाएगा.
(3) एक स्थाना महिलाओं के लिए आरक्षित होगा तथा भिन्न–भिन्न प्रवर्गो को चक्रानुक्रम से आवंटित किया जाएगा.

6. ग्राम न्यायालय की सदस्यता के लिए अर्हताः–

कोई भी व्यक्ति ग्राम न्यायालय के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किए जाने के लिए पात्र नही होगा, जब तक कि,–
(क) उसने नामनिर्देशित किए जाने की तारीख को 45 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर ली है;
(ख) वह उस वृत्त का, जिसके लिए ऐसा ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया है, मामूली तौर से निवासी नहीं है ;
''(ग) महिलाओं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के मामले पांचवी कक्षा तथा अन्य मामलों में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण नही कर ली है.''
परन्तु किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसका उल्लेख नियमों में किया जायगा, कोई अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का सदस्य पांचवी, कक्षा उत्तीर्ण उपलब्ध नहीं होता है तो यथास्थिति जनपद पंचायत अथवा राज्य सरकार निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता को शिथिल करते हुये किसी उपयुक्त व्याक्ति को नाम निर्देशित कर सकेगीः
''परन्तु यह और कि विधि का जानकार व्याक्ति या विहित अर्हता की महिला सदस्य उपलब्ध न होने की दशा में न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष तक की जा सकेगी.''

7. ग्राम न्यायालय की सदस्यता के लिए निरर्हताएंः–

(1) कोई व्यक्ति ग्राम न्यायालय के सदस्य के रूप में चुने जाने तथा सदस्य होने के लिये निरर्हित होगा, यदि वह –
(क) किसी ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच या किसी जनपद पंचायत या जिला पंचायत का पदाधिकारी है या विधान सभा के सदस्य, सांसद, कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष,उपाध्यक्ष या सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है ; या
(ख) तत्समय मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के या निर्वाचनों से संबंधित किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन निर्वाचित होने के लिये निरर्हित हैं.
(2) यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या ग्राम न्यायालय का कोई सदस्य उपधारा (1) में उल्लिखित किन्हीं निरर्हताओं के अध्यधीन हो गया है, तो वह प्रश्न कलेक्टर को निर्देशित किया जाएगा.

8. रिक्तिः–

किसी सदस्य के पद मे उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारण से रिक्ति हो जाने की दशा में, ऐसी रिक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा और इस प्रकार नामनिर्देशित किया गया सदस्य धारा 9 में विनिर्दिष्ट की गई अवधि के लिए पद धारण करेगाः
परन्तु यदि वह स्थान, जिसमें रिक्ति हुई है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो या महिलाओं के लिए आरक्षित था तो उसे ऐसे प्रवर्ग के अभ्यर्थी द्वारा ही भरा जाएगा.

9. सदस्य की पदा विधिः–

कोई सदस्य उस तारीख से, जिसको कि वह नामनिर्देशित किया जाता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :
परन्तु कोई सदस्य, अपने पद की अवधि का अवसान होने पर भी, छह मास से अनाधिक

कालावधि के लिए या जब तक कि उसके स्थान पर नया सदस्य नामनिर्देशित नही कर दिया जाता, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण किए रहेगा.

10. राजनैतिक दल की सदस्यता से पृथक होनाः—

प्रत्येक सदस्य ग्राम न्यायालय के सदस्य का पद ग्रहण करने से पूर्व कलेक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए गए अधिकारी के समक्ष विहित प्ररूप में यह घोषणा करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा जिसमें यह कथन किया जाएगा कि वह किसी भी राजनैतिक दल का सदस्य नहीं रह गया है और वह अपने पद के कर्तव्यों का पालन शुद्ध अन्तःकरण से तथा श्रद्धापूर्वक और अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, विधि अनुसार करेगा.

11. नामनिर्देशनः—

राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा. सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए नियम बना सकेगी.

12. प्रधानः—

(1) ग्राम न्यायालय के सदस्य, विहित रीति से अपने में से एक सदस्य को प्रधान रूप के रूप में निर्वाचित करेगें.

(2) प्रधान की अनुपस्थिति में ग्राम न्यायालय के सम्मिलन में उपस्थित सदस्य सम्मिलन में उपस्थित ग्राम न्यायालय के एक सदस्य को ग्राम न्यायालय के ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेगें.

(3) प्रधान ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जैसा कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए.

13. ग्राम न्यायालय का सचिवः—

(1) विधि का जानकार व्यक्ति जो जनपद पंचायत द्वारा धारा 5 के अधीन सदस्य के रूप में नामनिर्देशत किया गया हे ग्राम न्यायालय का पदेन सचिव होगा.

(2) सचिव ग्राम न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के पालन में सहायता करेगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जैसा कि विहित किया जाए.

14. सदस्यों के भत्तेः—

सदस्य, ऐसे मानदेय, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते प्राप्त करेगे जैसा कि विहित किया जाए.

15. सदस्य लोक सेवक होगेः—

ग्राम न्यायालय का सदस्य, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा.

अध्याय 3—प्रक्रिया

16. ग्राम न्यायालय की अधिकारिताः—

(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) या मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में अंतविर्ष्ट किसी बात के होते हुए भी ग्राम न्यायालय को—

(एक) एक हजार रूपए से अनधिक ऐसे धन की वसूली के लिए किसी वाद की सुनवाई तथा उसे अवधारित करने और उसके निष्पादन तथा उसे उद्भूत होने वाली अन्य प्रकीर्ण कार्यवाहियां करने की अनन्य अधिकारिता होगी तथा उस प्रयोजन के लिए ग्राम न्यायालय, सिविल न्यायालय समझा जाएगा.

(दो) (क) भारतीय दण्ड संहिता , 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 160, 172, 174, 175, 178, 179, 180, 269, 277, 279, 283, 289, 290, 294, 323, 334, 336, 341, 352, 358, 374, 379, 411, 426, 428, 447, 448, 506 (प्रथम भाग), 509 तथा 510;

(ख) पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का सं. 1);

(ग) मध्यप्रदेश किशोर धूम्रपान अधिनियम, 1929 (क्रमांक 7 सन् 1929) और
(घ) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (1867 का सं. 3) की धारा 13 के अधीन
अपराधों की जांच तथा उनका विचारण करने की अनन्य अधिकारिता होगी तथा उस प्रयोजन के लिए ग्राम न्यायालय दण्ड न्यायालय समझा जाएगा.
(तीन) मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 248 तथा 250 के अधीन मामलों की सुनवाई तथा उसका निपटारा करने की अनन्य अधिकारिता होगी तथा उस प्रयोजन के लिए ग्राम न्यायालय तहसीलदार का न्यायालय समझा जाएगा :
परन्तु ग्राम न्यायालय पांच सौ रूपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं होगा किन्तु यदि किसी मामले मे उसका यह विचार है कि मामलों की परिस्थितियां ऐसी है जिनमें और अधिक जुर्माना अधिरोपित किए जाने के लिए समुचित आधार है तो वह मामले का उपखण्ड अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा जो संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् जुर्माने के संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.
(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ग्राम न्यायालय–
(एक) निम्नलिखित वादों का विचारण नही करेगा–
(क) जो भागीदारी लेखा के अतिशेष के लिए हैं;
(ख) जो किसी निर्वसीयतता के अधीन अंश या अंश के भाग के लिए या किसी बिल के अधीन किसी वसीयत संपदा के लिए या वसीयत सम्पदा के भाग के लिए है
(ग) जो किसी स्थावर सम्पति के किराऐ की वसूली के लिए है ;
(घ) जो किसी बंधक के मामले में पुरोबंध, विक्रय या मोचन के लिए या किसी स्थावर सम्पत्ति में किसी अन्य अधिकार या उसमें हित की घोषणा के लिए है;
(ड) जो अवयस्कों या विकृतचित वाले व्यक्तियों द्वारा या उनके विरूद्धे है
(च) जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के सेवक या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी कानूनी निकाय या किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा या उसके विरूद्ध जो अपनी पदीय हैसियत में कार्य कर रहा है या जिसका उस प्रकार कार्य करना तात्पर्यित हैं
(छ) जिसका किसी सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान किया जाना तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वर्जित है
(दो) निम्नलिखित अपराधों का संज्ञान नही करेगा–
(क) ऐसे मामलों में किसी अपराध का जहां अभियुक्त पूर्व सिद्धदोष हैं
(ख) भारतीय दंड संहिता की धारा 371, 411 और 428 के अधीन ऐसे अपराधों का जहां, यथास्थिति, संपति या पशु का मूल्य 500/– रूपऐ से अधिक है
(ग) भारतीय दंड संहिता की धारा 172, 174, 175, 178, 179, और 180 के अधीन अपराधों का, जब तक कि ये अपराघ ग्राम न्यायालय के संबंध में न किए गए हो
(घ) ऐसे मामलों में किसी अपराध का जहां शिकायतकर्ता या अभियुक्त लोक सेवक है या ग्राम न्यायालय का सदस्य हैं.

17. सिविल वादों तथा राजस्व मामलों का संस्थित किया जानाः–

ग्राम न्यायालय के समक्ष प्रत्येक सिविल वाद या राजस्व मामला वाद पत्र, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए आवेदन प्रस्तुत करके संस्थित किया जाएगा.

18. अपराधों का संज्ञानः–

ग्राम न्यायालय, इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित स्थिति में कर सकेगा–
(क) ऐसे तथ्यों की, जिनसे ऐसा अपराध गठित होता है, शिकायत प्राप्त होने पर
(ख) ऐसे तथ्यो ंकी पुलिस रिपोर्ट पर

19. समझौताः–

(1) ग्राम न्यायालय, सर्वप्रथम, किसी सिविल वाद या राजस्व मामले की सुनवाई करने या किसी अपराध का विचारण करने के पूर्व, प्रत्येक मामले में, प्रथमतः पक्षकारों के मध्य सुलह कराने का हर प्रकार से प्रयास करेगा.
(2) यदि कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, किसी सिविल वाद या राजस्व मामले में पक्षकारों के मध्य समझौता हो जाता है तो ग्राम न्यायालय ऐसा समझौता अभिलिखित करेगा और उसके निबंधनों के अनुसार, यथास्थिति, वाद या मामले का विनिश्चय करेगा और यदि दाण्डिक अपराध

का शमन किया जाता है तो ग्राम न्यायालय अभियुक्त को दोष मुक्त कर देगा.

20. विधि व्यवसायी के उपसंजात होने का वर्जनः—

कोई भी विधि व्यवसायी पक्षकारों की और से ग्राम न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए अनुज्ञात नही किया जाएगा :

परन्तु पक्षकार, मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गो के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, 1976 (क्रमांक 26 सन् 1976) के अधीन नियुक्त किए गए जिला विधिक सहायता अधिकारी से विधिक सहायता ले सकेगें.

21. ग्राम न्यायालय की प्रक्रिया के नियम तथा शक्तियांः—

(1) राज्य सरकार ग्राम न्यायालय की पद्धति तथा प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी ;

(2) ग्राम न्यायालय को अपने कृत्यों के पालन में, किसी सिविल, राजस्व या आपराधिक मामले का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी न्यायालय की समस्त शक्तियां होगी, अर्थात् :—

(क) साक्षियों को शमन करना तथा हाजिर करना

(ख) किसी दस्तावेज को पेश करने की अपेक्षा करना

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना.

(3) ग्राम न्यायालय को यह शक्ति होगी कि वह किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करे कि वह व्यक्ति ऐसे बिन्दुओं या विषयों पर ऐसी जानकारी दे जो ग्राम न्यायालय की राय में ग्राम न्यायालय के विचाराधीन किसी मामले मे उपयोगी या सुसंगत है.

(4) ग्राम न्यायालय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अपने समक्ष किसी सिविल, राजस्व या आपराधिक कार्यवाही का विचारण करते समय सामान्यतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेगा, अर्थात्:—

(क) यदि किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई दावा किया गया है या यदि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का अभियोग लगाया गया हे तो ऐसे व्यक्ति को, यथास्थिति, दावे की या अभियोग के आधारों की यथाशक्य शीघ्र सूचना दी जाएगी

(ख) किसी मामले में विनिश्चय किए जाने के पूर्व प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को मामले मे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा.

5. विशिष्टतया किसी मामले का विचारण करते समय ग्राम न्यायालय इस अधिनियम में तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में अधिकथित की गई प्रक्रिया का अनुसरण करेगा.

22. अधिकतम शाक्तियांः—

(1) ग्राम न्यायालय द्वारा, अपनी अधिकारिता के अधीन के अपराधों, के संबंध में, अधिरोपित किए जाने वाले अधिकतम जुर्माने निम्नलिखित होंगे :—

(एक) भारतीय 'दण्ड संहिता', 1860 (1860 का सं. 45) के अधीन किसी अपराध के संबंध में एक हजार रूपए से अनाधिक

(दो) अन्य अधिनियमों के अधीन अपराधों के संबंध में, ऐसे अपराधों के लिए अनुज्ञेय अधिकतम जुर्माने के अध्यधीन रहते हुए पांच सौ रूपए से अनधिक.

(2) कोई भी ग्राम न्यायालय, करावास का दंडादेश नही देगा चाहे वह मूल रूप मे हो या जुर्माने का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर हो.

23. वाद में संपूर्ण दावा सम्मिलित होगाः—

(1) किसी ग्रम न्यायालय में संस्थित किए गए प्रत्येक वाद में ऐसा संपूर्ण दावा सम्मिलित है जिसके लिए वह वादी ऐसे वाद हेतुक के संबंध में करने के लिए हकदार है, परन्तु ऐसा वादी दावे के किसी भाग का त्याग कर सकता हैं.

(2) यदि कोई वादी अपने दावे के बारे में कोई वाद लाने का लोप करता है या ऐसे दावे के किसी भाग का साशय त्याग कर देता हे तो वह इस प्रकार लोप किए गए या त्याग कर दिए गए भाग के लिए या उसके बारे में कोई पृथक कार्रवाई, चाहे सिविल न्यायालय या ग्राम न्यायालय के समक्ष लाने के प्रवारित होगा.

24. संस्थित करने का स्थानः—

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक मामला उस ग्राम न्यायालय के समक्ष किया जाएगा जिसकी अधिकारिता के भीतर वाद हेतुक उद्भूत होता है या वाद के प्रतिवादी या प्रतिवादियों में से कोई प्रातिवदी वास्तविक रूप से या स्वेच्छया निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है.

25. परिसीमाः— कोई भी ग्राम न्यायालय—

(क) किसी सिविल वाद का संज्ञान उस तारीख से, जिसको वाद लाने का अधिकार प्रोद्भूत होता है तीन वर्ष का अवसान होने के पश्चात्;

(ख) किसी आपराधिक मामले का संज्ञान उस तारीख से, जिसको अपराध किया गया था, एक वर्ष का अवसान होने के पश्चात् नही करेगा.

26. न्यायालय फीसः—

26. न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का सं. 7) में अन्तविर्ष्ट किसी बात के होते हुए भी, ग्राम न्यायालय के समक्ष संस्थित किए गए प्रत्येक सिविल तथा राजस्व मामले के लिए ऐसी फीस प्रभारित की जाएगी, जैसी कि विहित की जाए.

27. अभियुक्त को प्रतिकर का संदायः—

यदि ग्राम न्यायालय का जांच के पश्चात् यह समाधान हो जाता है, कि उसके समक्ष लाया गया कोई मामला मिथ्या तथा तुच्छ या तंग करने वाला था तो ऐसा ग्राम न्यायालय, यथा स्थिति वादी या परिवादी को यह आदेश दे सकेगा कि वह अभियुक्त को एक सौ रूपऐ से अनाधिक ऐसे प्रतिकार का संदाय करे, जैसा कि वह ठीक समझे.

28. जुर्माने या प्रतिकार का संदायः—

ग्राम न्यायालय द्वारा अधिरोपित किये गये जुर्माने या मंजूर किये गये प्रतिकर का संदाय ग्रम न्यायालय को साधारणतः पन्द्रह दिन के भीतर किया जाएगा किन्तु ग्राम न्यायालय स्वविवेक से, उसके पश्चात् और समय प्रदान कर सकेगा जो कुल मिलाकर तीस दिन से अधिक नही होगा.

29. जुमाने या प्रतिकर का व्ययनः—

(1) ग्राम न्यायालय द्वारा प्राप्त की गई जुर्माने या प्रतिकार या फीस की रकम की प्रविष्टि विहित रजिस्टर में की जाएगी तथा इस प्रकार प्राप्त किए गए धन को एक ऐसी निधि मे जमा किया जाएगा जिसे ग्राम न्यायालय निधि कहा जाएगा.

(2) ग्राम न्यायालय निधि की रकम ग्राम न्यायालय के व्ययों की पूर्ति के लिए उपयोजित की जा सकेगी.

30. जुर्माने या प्रतिकर की वसूलीः—

यदि ग्राम न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए गए जुर्माने या मंजूर किए गए प्रतिकर का संदाय विहित समय के भीतर नही किया जाता है तो ग्राम न्यायालय तद्नुसार लिखित में इसकी जानकारी कलेक्टर को देगा जो उसकी वसूली के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो कि वह भू—राजस्व का बकाया हो, और जब इस प्रकार वसूली हो जाए तो वह उस रकम को ग्रम न्यायालय को विप्रेषित करेगा.

31. विनिश्चय की अंतिमताः—

किसी वाद या आपराधिक मामले मे, जिसका विचारण ग्रम न्यायालय द्वारा किया गया है, ग्राम न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगाः—

परन्तु ग्राम न्यायालय के अंतिम विनिश्चय के विरूद्ध—

(क) सिविल मामलों में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एकः

(ख) आपराधिक मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेंट प्रथम श्रेणी; और

(ग) राजस्व प्रकरणों में उप खण्ड अधिकारी के समक्ष अधिकारिता संबंधी त्रुटि या विनिश्चय के अनुचित होने के आधार पर पुनरीक्षण याचिका फाइल की जा सकेगी.

32. नियम बनाने की शक्तिः—

(1) राज्य सरकार ऐसे समस्त विषयों के लिए नियम बना सकेगी जिनके लिए उपबंध किया जाना इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए समीचीन है

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् –

(क) कामकाज का संचालन तथा विवरण और ग्राम न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया

(ख) ऐसे अन्य विषय जो राज्य सरकार की राय में ग्राम न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के समुचित तथा दक्ष संचालन के लिए आवश्यक हैं

(ग) ग्राम न्यायालय को विधिक सलाह देने वाले व्यक्ति को संदत किया जाने वाला मानदेय, यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता.

33. नियमों का पटल पर रखा जानाः–

इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखें जाएंगे.

34. व्यावृत्तिः–

इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के अव्यवहित पूर्व किसी सिविल, दण्ड या राजस्व न्यायालय के समक्ष लंबित समस्त मामलों की सुनवाई तथा उनका विनिश्चय संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा मानों कि यह अधिनियम प्रवृत्त ही नहीं हुआ हैं